

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/1

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. सुरेश जी अमिल
MPR जोन 4 सड़क 13 व 14
नॉड - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जफ़ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / / 2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/1

/अंतिम नोटिस//

प्रति,

विषय:-

संदर्भ:-

नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/1 भिलाई, दिनांक 31/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोस्तगक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की बसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/316

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

7509089873
MOHAMMA AKBAR

28-01-2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04
zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/1

प्रति,

श्री. सुरेश चं. श्री. अनिल
एम.पी. 308 रोड गार्ड 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/1 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/1 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आधार के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लोवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जर्जी की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

25261

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/2

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

एन. लक्ष्मी

MPR रीडर्स सफ़्ट-17 तह

तह-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/2

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

रखलाल शर्मा / एन 3/एए/ए/ए

NAIR 456, 456, 773, 775, 772

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/2 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/316

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/12

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

एन. लक्ष्मी / एन. अप्पा राव
M.P.R. रोड वार्ड 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/2 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/2 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 को पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जल्ली को कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जानें।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

नाम

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/3

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

एन. सी. / ए. अल्लाव
MPR स्. सं. भा. 17 AS
आई- 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 315/3

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 310/3 भिलाई, दिनांक 21/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दरतावेज होने की स्थिति में जम्मेदारता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 316

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/3

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

(एन.सी.क)

एन.सी.क/एन.सी.क/एन.सी.क
एन.सी.क/एन.सी.क/एन.सी.क

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं वेंचर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/3 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/370/6 भिलाई, दिनांक 22/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लोवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित).

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/3

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

17/3/25

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/.....

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

ले. करण / के. काठनारायण
MPR सेड्स सप्लायर्स 17 वड
प्लॉट 42

(कृपया देखें)

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/11

भिलाई, दिनांक 8/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

क. करवा/के काठनाडी
MPR से 34 459 1773 11542

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/11 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से ज्ञात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/376
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

K. Goukemi

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 28/1/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

2065fourbhilaiz@rediffmail.com, 2065fourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/04

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

के. कृष्ण / के. कान्नाशम
राम जी. भाट. रोड लाई-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/04 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/04 भिलाई, दिनांक 20/11/2024

00

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक/उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/5

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,


महो. नगर पालिक निगम भिलाई
पिन 481001
ता. 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)


जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।


जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई


31/12/24
99074
29136

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/05

भिलाई, दिनांक 26/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

~~सूचना~~ शेखर अलीज/शेखर मलीड
M.P.R. शेखर मलीड

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024 318/05 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

82/1/25

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440/5

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

शेखर अजीज / शेखर मजीद
एम.पी.0 अल.रोड, चर 5-12

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खंजर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024-310/05 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024-375/05 भिलाई, दिनांक 20/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Sheikh
Tameer

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhlai@rediffmail.com, zonefourbhlai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/6

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

मेधा राव

M.P.R. स्टोर नम्बर 17 AS

पार्स - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कांगूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024 :

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/.....

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

संदर्भ:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
कं./रा.वि./जोन 04/2024..... भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लेवे अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 28/1/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/376
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम मिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4446

मिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

गेधाराव
एडवोकेट आर.एस. वाई 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं घेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/06 मिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 376/06 मिलाई, दिनांक 20/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आधार के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 222 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की शर्त की गई। नांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 222 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की बसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025 4446
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, मिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, मिलाई इत्यादि संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, मिलाई
मिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, मिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

परचुराम मिश्रा

11PR शेड सं. 17 अड

प्लॉट 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

22/12/24

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/17

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

परशुराम मिश्रा/रा. वि. निवास
प्लॉट नं. 12/20
कॉ. 212 जी.एम.नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोस्तुतकारता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लेवें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/376

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

परशुराम मिश्रा

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 28/1/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourhilaiz@rediffmail.com, zonefourhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/07

मिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

पर उर रागि शा/स्व० जी अत गि शा
स्व० जी अत गि शा 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं सेवर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024-310/07 मिलाई, दिनांक 31/12/2024

2. कं./रा.वि./जोन 04/2024-376/07 मिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

मिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

(8)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/8

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

रईसा
MPR जे.सी. राउट 17/25
पार्स 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सागरी जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

A. B. A.

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/8

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

रजि. 1 ता. मोहम्मद

1108 रजि. संख्या-1375

प्लॉट-42, शिवाजी नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/31018 भिलाई, दिनांक 21.11.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्तावेजकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440/08

प्रति,

श्रीलाल राजवेल्लु मगर
साइट-26-साई-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024-310/08 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024-375/08 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

00

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के पास उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025-4440/

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

कमल

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/9

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्रीमान
सदस्य नं. 18 तह
तह. 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Ch. Abha Rani

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/9

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

संदर्भ:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/9 भिलाई, दिनांक 21/01/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिगत संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Ch. Shalika Rani

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक/7/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/09

प्रति,

उद्गारिका/सी.एच. कनकेरगा
758-17 लाई. 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं पेंडिंग निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024-310/09 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024-375/09 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज हान की स्थिति में उच्चोत्तराधिकारकर्ता को गवाह उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय समीक्ष न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक/7/3/2025

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025-444

प्रतिलिपी:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इत्याद संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

अभिजा

9630726840

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/30750

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्रीमान

राजद. 17 से 18.25

नई. 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

Abai

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/10

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्रीमान / श्रीमती

संख्या-17 से 18 तक

कं./रा.वि./जोन 04/2025

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/10 भिलाई, दिनांक 21/10/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4400/10

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

श्रीश्री 210 गजगोहम्मद
प्लॉट-17 नॉई-212

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं धेंवर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/10 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/10 भिलाई, दिनांक 28/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस ताबिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटायें गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सागप्री जल्दी की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4400

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

कम

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/11

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री कृष्णा राव

रास्ता 17 नं. 18 25

प्लॉट - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Chhaya

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 375/11

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

जि. चव्वासा / नी. नार्थ 22
सदर - 12.01.18
वार्ड - 42, गौतम नगर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/11 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अपोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Chhaya

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonetourbhilai@rediffmail.com, zonetourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/11

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

सी.कु.जोना राव/पी.गार्गिया
रा.क. 17 लाई 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/11 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 376/11 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी माधव के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज गोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025 440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पत संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

(12)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310112

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

गणेश मिश्रा

घर नं. 17 अ 18 नं. 5

मार्ग - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/12

भिलाई, दिनांक 22/11/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

शिवजी मिश्रा
2/5/17 से 18/11
2025-12

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-2, जोन-3 में सीवर लाइन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/316/12 भिलाई, दिनांक 31.12.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाइन/मुख्य सीवर लाइन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाइन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाइन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

Diksha Mishra
Phone No - 7067335387

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन-04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/12
प्रति,

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

गणेश शिवाजी

स.सं. - 25 वाई-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं घेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/12 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/12 भिलाई, दिनांक 20/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

(13)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/13

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

नासिर भली

सबक 13 व 18 तः

पार्क - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवासा के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

Sahar

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/13

भिलाई, दिनांक / / 2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्रीमान श्री
श्रीमान श्री
श्रीमान श्री

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/13 भिलाई, दिनांक 31.10.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

28/11/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/ 3/ 2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440-113

प्रति,

नासि 2 अली / हो सिलवा 2
सफा-18 सफा 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायो जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/13 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/13 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीरसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लोवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सशेखर न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है-कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जादे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025 4440

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Sahar

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/ 3/ 2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/37
37/11/24

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

मा. प्रभुजी
मार्ग 17 से 18 तक
पार्क 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 315/14

भिलाई, दिनांक 28/2 / 2025

प्रति,

श्री. कानून

// अंतिम नोटिस //

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 310/14 भिलाई, दिनांक 31-12-2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

प्रमाणित

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440/14

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

श्री. अजीज / तयार 3/11/24
फाइल-25075-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।
संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/14 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/14 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जफती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जानें।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्रात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

अजीज

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

(15)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310115

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

हयात मोहम्मद

संस्क. 17 से 18 तक

पार्क-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

हयात मोहम्मद

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/15

भिलाई, दिनांक 28/11/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

.....

.....

.....

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/15 भिलाई, दिनांक 31-12-2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधीनस्थ अधिकारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zoncfourbhilai@rediffmail.com, zoncfourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 440/15

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

हजातगोहम्मद / नगरपालिका
सि.क्र. 25 का. 5.42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं धेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/15 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 326/15 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज मोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025 444/15
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

आयुक्त महो.

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

~~अकली कुली लाई~~ ~~अली अहमद~~
~~अली अहमद~~ ~~मोहम्मद~~ ~~मोहम्मद~~
~~अली अहमद~~ ~~मोहम्मद~~ ~~मोहम्मद~~
~~अली अहमद~~ ~~मोहम्मद~~ ~~मोहम्मद~~

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

42

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 311/34

भिलाई, दिनांक 28 / 1 / 2025

अकालीन नगर पालिक निगम

प्रति,

अकालीन नगर पालिक निगम

S/O नगर पालिक निगम

11 अंतिम नोटिस /

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 / 312/37 भिलाई, दिनांक 2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/1440/15

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

अनिल अहमद
अकलीगुम्मीसा / मन्त्री
7180-25 न/5-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/16 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/16 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पु.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1440

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Redo

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/17
प्रति,

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

मिशन बिस्वद

संख्या: 17 अ. 18, 25

वर्ग: 4.2

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / / 2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मिशन बिस्वद

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

શિવાજી નગર જોન 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 375/17

मिलाई, दिनांक 28/1 / 2025

प्रति,

/ / अंतिम नोटिस / /

11/11/2020 / 05/12/2020

250717 251805

915 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024..... भिलाई, दिनांक.....2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण / कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें एवं अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने ।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन् आयुक्त

शिवाजी नगर,जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

प्र.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शु. शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourhh7ai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4401-17

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

मिराज आर.एस. कलासुदीन
1/58-25-वाई-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/17 भिलाई, दिनांक 01/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/17 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4401-17
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

नमिलुन निशा

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

18

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/18

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्रीमान
मिस्टर आर.ए.ए.
नगर-12 से 18 तक
तह-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जफ़ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

समीक्ष

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/18

भिलाई, दिनांक 28/12/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्रीगंगा अटलगाह / 01 गोर अटलगाह
खसक 24 (1753 17 18 11 5) 01542

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/18 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूनि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में ज्वाइंटस्तुअक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण / कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

Atreen Bano

no. 7470502374

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 440/18

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

एजाज अहमद/नजीर अहमद
सू-52-24 वॉ 5-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

- कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/18 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
- कं./रा.वि./जोन 04/2024 376/18 भिलाई, दिनांक 20/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025 444
प्रतिलिपि:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जुही पर्वीर

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/19

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. ~~कलीम~~ मो. शाफरु
सफर-17 सी. 20, 25 510 मो. कलीम
लाई-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री ज़ब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

शाफरु

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 375/19

प्रति,

विषय:-

संदर्भ:-

11 अंतिम नोटिस 11
मो. वकील/मो. केली.म. मुखवटाली
संख्या-24 द. 1957
पृष्ठ-42, 1957-58

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
कं./रा.वि./जोन 04/2024..... मिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

—00—
उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अद्वैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर दिए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरस्ताधरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण / कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें एवं अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने ।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोना आयुक्त
शिवाजी नगर, जोना 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/19
प्रति,

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

श्री. सावरकर/श्री. कलीग
रा.व. 24 लाई 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में। 31/12/2024

संदर्भ:-

- कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/19 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
- कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/19 भिलाई, दिनांक 28/1/25

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री सब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित).

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/19
प्रतिलिपी:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Shabeel

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/20

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

रहस्यदीन अली
5/8 स्व. गा. नि. भिलाई

संख्या - 17 स. 20 तक

तारीख - 4/2

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जफ़ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Shabnam bano

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

20

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/20

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

प्रति, रहस्यदीन अली / अंतिम नोटिस /
510 नं. जाहिर अली / रहस्यदीन
रास्ता-24 के पास अली
नं. 42, शिवनगर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/20 भिलाई, दिनांक 21/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लेवें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

Shabnam

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440/202020

प्रति,

रहस्यहीन शाली/स्वामित्व अधिकारी
संख्या-24 वा 5-12

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

- कं./रा.वि./जोन 04/2024/3101/20 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
- कं./रा.वि./जोन 04/2024/3761/20 भिलाई, दिनांक 20/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4440

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

शिवम कानो

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/ 310/21

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. ~~अनिल कलम~~

रास्ता - 17 से 20 तक

प्लॉट - 412

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

श्री. अनामिका शर्मा

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/21

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री कलीम / मुन्वर अली
असत 24 अं एकर सीपरी
गल-42, गणेश नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/21 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/2021

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

गो.कलीम/खन्नावट डाली
7188-24 वा.स-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खेन्वर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/21 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 376/21 भिलाई, दिनांक 20/11/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जानें।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सी. क. कर्मा

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/22

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. मोहम्मद / श्री. अली

प्लॉट - 19 जे 20 तस

प्लॉट - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

श्री. मोहम्मद

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/22

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024..... भिलाई, दिनांक.....2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

चौद मोहम्मद

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर, जोन 04

zonefourbhila@rediffmail.com, zonefourbhilaizt@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/22

प्रति,

जयश्री महाप्रबंधक
नगर पालिक निगम भिलाई

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/22 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/326/22 भिलाई, दिनांक 28/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/22

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जयश्री महाप्रबंधक

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

(कागज नं.)

10/07/2025

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/23

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

फिराज अली मुन्कर डाली

सं. 19 अ. 20 त. 3

तारि - 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

मल्लिका

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

/रा.वि./जोन 04/2025/315/23

भिलाई, दिनांक 28/11/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

शिवाजी नगर
जोन-04 के अधिकारी/नगर
पालिक निगम

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/315/23 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

31.11.2025
28/11/2025

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर, जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/11440/23

प्रति,

किरोज गाली / मुख्य गट 3 गली
1180-24 गट 5 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/23 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/23 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर नू-स्वानित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। नांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामाजी जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/11440/23

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्यात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

214 मोहम्मद

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

(24)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/24

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

माहिदा बेगम

साइक-19 से 20 तक

तार-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Juhi Parveen

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/345/24

भिलाई, दिनांक 30/01/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

आदित्य बेजवा / शिवाजी नगर जोन 04

प्लॉट नं. 23 के पास शीपडो

प्लॉट नं. 42, शिवाजी नगर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/345/24 भिलाई, दिनांक 30/01/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अप्रोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिल से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

शुद्धी परकील

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 30/01/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonetourbhilaiz@rediffmail.com, zonetourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/24/24 2U

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

जाहिरात/स्वयंसेवा अहमद
152-23 लाई-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/24 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/24 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अधैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/24/24

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्रात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जुही परवीन

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

निहार अहमद

सदस्य- 19 से 20, नर

लाई- 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

Juh Parveen

(जुह परवीन)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 28/01/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/26

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

निवासी शिवाजी नगर जोन 04
प्लॉट-23 के पास शिवाजी नगर
प्लॉट-42, शिवाजी नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/85 भिलाई, दिनांक 21/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

उद्धी पस्वीन

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/1440/25 25

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

जिसाउरमग/नजीर अहमद

रा.ह. 23 वा. 5 प 2

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/25 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/376/25 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1440/25

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सांभाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जुही परवीन

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 310 / 26

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. नरेश चंद्र (सेलुम)
नगर पालिक निगम
जोन 04

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्य व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/26

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

दीपजारायण शिरालाल
श्री अशोक चौक (सैलून)

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/26 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताधारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

/रा.वि./जोन 04/2025/1110/26

भिलाई, दिनांक 18/03/2025

प्रति,

दीपसागरजी (सेक्टर)
अड्डा-21, जे 21 नका
लाईन पर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं थेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/1310/26 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/1375/26 भिलाई, दिनांक 28-01-2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आधार के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय संशोधन न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1111
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पत संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/27

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

तीपनारायण
सद. 21 व 22 (अवास)
वाड-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375127

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

7/10/2020
प्रति - राज. भवन, लालम, अ. 21

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024.....210/27..... मिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं दो सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

सूचना जाने ।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

मिलाई, दिनांक / / 2025

प.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवराजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम,भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/27

भिलाई, दिनांक 7/6/2025

प्रति,

श्रीमान श्री 5/3/2025 (आवाज- मोपडा)
श्रीमान श्री 22 (युवकील इ-कृत केपान)
साई 412

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/22 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/325/22 भिलाई, दिनांक 28-01-2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सादर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 7/6/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/27

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सानाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

19/3/25

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhlai@rediffmail.com, zonefourbhlai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/29

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

शुशीला देवी
रास्ता नं. 22, गड
पिन-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

शुशीला देवी

कुशुनिना

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/37529

भिलाई, दिनांक / / 2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

शुनीला राजकिशोर सिंह
(सामाजिक कार्यकर्ता) पं.क्र.21

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024..... भिलाई, दिनांक.....2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् सदभित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1410/28

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
भिलाई

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/29 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/29 भिलाई, दिनांक 28-01-2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सशस्त्र न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1410/28
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इत्याद संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024/.....

310/31

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

.....

.....

.....

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024/.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

नाममा लेमन

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/31

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री स्वामी महोदय
सं. 21, ला. 5, 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/31 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

00

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूनि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

zonefourhills@rediffmail.com, zonefourhills4@gmail.com

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/32

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री लाल वर्मा

राज्य सं. - 21 स 22 रुकु

पार्स - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवासा के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री ज़ब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

रा.वि./जोन 04/2025/318/32

भिलाई, दिनांक 28/ /2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/318/32 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में जयोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/34

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

श्री. गोरे लाल दा. शिवाजी नगर पालिक निगम (प्रशासक) भिलाई
24/03/2025

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायो जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/32 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/32 भिलाई, दिनांक 28/10/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर दिए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर दिए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता को समझा उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सशेष न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441/—

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/34

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

माननीय नगर
सचिव नगर पालिक निगम भिलाई
प्लॉट-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

रीना

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

प.क./रा.वि./जोन 04/2025/375/34

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

गजपतिवेहडा/श्यामुबोहरा
गोबरामचक पास लाई 112

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/34 भिलाई, दिनांक 31/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

प.क./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

अतीता

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/1110/34

प्रति,

गणपत खेड़ा 570 स्वामित्व
जोनाय के पास

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/34 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/34 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सशेच न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पत संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(केशव खेड़ा)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/35

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

अनीता ~~समन्त~~ तहरा

सदर नं. - 21 से 22 तक

तारि - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

अनीता

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

अनिता/रा.वि. निगम भिलाई

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/3101/35 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में ज्योतिरसाक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

अनिता

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/33

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

श्रीमान श्रीमान श्रीमान/स्व. मिमांयल वेहर
खंडक, 21, गणेश मंदिर - भवत के पास
बिल्डिंग-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/35 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/1375/35 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी जावास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सशोध न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

ashant (केशव वेहर)

जोन लाइब्ररी

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन लाइब्ररी

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310136

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

एम्प्लॉय रजि.

रजि. नं. - 21 से 22 तक

पृष्ठ - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

MRAC

नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2025 / 375/36

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

आयुक्त / नगर पालिक निगम
भिलाई, दिनांक 28/1/2025

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 375/36 भिलाई, दिनांक 31/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधीनस्थ अधिकारता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण / कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं. / रा. वि. / जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

m. Ravi

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/34

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

एसा.शिव/सारीसुख (कॉ.नं. B/5)
प्लॉट-21, केपान (सोप-31)
प्लॉट-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/36 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/36 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीरसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

R. Annutha

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/ 310137

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

सी. पार्वती

सदस्य, न. - 21 जे 22 तक

वर्ग - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / / 2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सी. पार्वती

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/37

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/37 भिलाई, दिनांक 21/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्तावेजकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S)-295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

र.पार्वती

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/1110/35

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

श्री. पार्वती / साईकल
मंडल - 21 के पास मसोपडा
वाड - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/37 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/37 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1110/35

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पताल संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

टीका (लेजल)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/31038

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

लाठी निवासी

रा.वि. नं. 21 से 22 तक

पार्स- 1.2

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

From PMY
नगर पालिक निगम
भिलाई

श्री कुमार यादव

जो. नि. 04

लाठी (क्रिया हेतु)

8827695228

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/374/38

भिलाई, दिनांक 29/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

नगरपालिका

नगरपालिका/ 2144
जसक-21/1/2025/374/38

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/374/38 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 375/38

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

वाणी निवासी
285-21/3 200391542

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 310/38 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में ज्योतिषस्थलधरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लेने अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

वाणी
चण्ड कुमार शर्मा

8827695228

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4110/36

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

वाजीपतिवार (चण्डिका आदर/चतराम)

MO. 8827695228 1/22 918718845219 (LAWM)

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/38 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/38 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता को समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पु.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4111/ प्रतिनिधी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इत्याद संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

168 (लेन/ल)

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

310/39

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

श्री. मुकुण्ड

सड़क नं.- 81, रू. 22 तक

कडि- 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Tejay

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/39

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

क्र. मुकेश / स्व. शंभाराम

सडक श. कृष्ण कोवडी.

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/39 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/37

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

श्री. सुप्रीम/रं. आन्तराम
खंडके-2, के.पी. (भा.प.डी.)
013/42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/39 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/39 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं मागनीय संशोधन न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जल्दी की कार्यवाही की जावेगी जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441/...

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

KPARVATI

जोन-04/मु.क.

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 03/ /2025

जोन-04/मु.क.

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

316/40

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

सुरेन्द्र कुमार

सफ़द. नं.- 21 खे, 22 गड

तारि - 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

सुरेन्द्र कुमार

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

प.क./रा.वि./जोन 04/2025/311/42

भिलाई, दिनांक 27/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री. रमेश चंद्र शर्मा

प.क. 311/42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/311/42 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् सदर्मित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

प.क./रा.वि./जोन 04/2025/311/42

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

श्री. रमेश कुमार
29.1.25

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/38

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

पुनर्-3/29. जमसुलौपन
अड्डा-21, वॉट, 3/क के सामने
415-412

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/40 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/42 भिलाई, दिनांक 28-01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल करवाया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लोवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं प्रागनीय न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्रवाई के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जानें।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पु.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सानाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Reference

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन अधिकृत
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com; zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

प्रिय विश्वकर्मा

खण्ड नं.- 21 रं 22 तक

पार्स- 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 375/41

भिलाई, दिनांक 28/1 / 2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

प्रिंसिपल/समिती/विभाग
सिद्धार्थ (पुष्पाक 315)
315/42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 315/41 भिलाई, दिनांक 31/12 / 2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

Prince

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/39

प्रति,

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रतिविश्वकर्मा/रामजीत विश्वकर्मा
संज्ञक-21 के माफते (पञ्चमसकाण)

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/11 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/41 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लोवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आधुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441/

प्रतिलिपि:-

1. आधुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(विश्वनाथ गजपति)

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/प2

प्रति,

एन गनली

सा.स.नं.-21 स. 22 तक

पार्स-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मि 2 न

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/374/12

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/374/12 भिलाई, दिनांक 24/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

कि 201

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/40

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

श्री. राजेश्वरी / विशालाक्ष गजपति
प्लॉट 31 कापल - अवेवडी
वा 3-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/42 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
 2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/42 भिलाई, दिनांक 28/01/2024
- 00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर लिए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर लिए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री सज्जी की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/40

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

साहू सादर

सफ़र नं. - 21 वी 22 तड

वार्ड - 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पू.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

S. D. S.

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/43

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री. गडग/श्री. पालियाड

आयुक्त शिवाजी नगर जोन 04

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/43 भिलाई, दिनांक 21/11/2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताधारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लेवें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/41

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

गोरे पादव

साधु साधव / गोपाल साधव
मक-21, के पास मोपडा
पिन-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/15 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/43 भिलाई, दिनांक 28/01/2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अधैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवाशियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सश्रेष्ठ न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/444/

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

गोरे पादव

जोन अधिकृत

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कायालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/44

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

एस. बालराम

राइट नं.-21 स 22 तक

पार्स-42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/

भिलाई, दिनांक 28/11/2025

//अंतिम नोटिस//

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/30/11/2024 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz4@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/42

प्रति,

मि. बालराज / एन. कृष्णमूर्ति (B/10 जे.हो.श.)
अ.उ.फ. 21 के पास (आ.प.ई.)
पिन-412

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/44 भिलाई, दिनांक 31.11.2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/44 भिलाई, दिनांक 28/10/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिहो से 24 घंटे में भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं मागनीय संशोधन न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जफती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441/.....
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhlai@rediffmail.com, zonefourbhlai4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 310155

भिलाई, दिनांक 31 / 12 / 2024

प्रति,

श्री. गणेश राव
सूचना - 21 सी 22 तड
तार - 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दरतावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जफती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

श्री. अजुमती

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/45

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/45 भिलाई, दिनांक 31/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सो गठगठ गठे धुये हो-

पडोसी मे

०५ दाल राफ

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/43

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

प्रति,

बी. जोहलुंगव (अंजुमती)
50 रा. वि. जोन 04, अंक-21
वाड-112

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/45 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/325/45 भिलाई, दिनांक 28-01-2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवाशियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

बी. अंजुमती

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

रिक्त भूमि

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 31 जे 6

भिलाई, दिनांक 31 / 12 / 2024

व्यापार भवन के पाल

प्रति,

डी. जया

साइट नं.- 31 से 22 तक

प्लॉट - 42

(रिक्त भूमि) व्यापार भवन के
वा 31 जे 6 पाल

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)


जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / / 2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।


जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/46

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री जयश्री मोहन शर्मा
नं. 21 के पालखवाड़ा (जो. 4)

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाइन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/46 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाइन/मुख्य सीवर लाइन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाइन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाइन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/44

प्रति,

भिलाई, दिनांक 17/03/2025

श्री. जयराज मोहन राव
स्व.क. 21, क. पा.क. (क. 322 (मो. 437)
वा. 3-42

विषय:-

संदर्भ:-

- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेन्वर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।
- कं./रा.वि./जोन 04/2024/1310/46 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
 - कं./रा.वि./जोन 04/2024/1375/46 भिलाई, दिनांक 28-1-2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/444/...

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

B. R. R. R.
वी. कालमना (माता)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / /2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 17

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

सूचित रि.ह.

सा.स.न. - 21.12.23 तक

वार्ड 42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेंगे या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/.....

भिलाई, दिनांक 38/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

उत्तरीपालिका/उत्तरांचल मिह
तहसील 21 मोपडी

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024..... 310/117 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में उपोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhila4@rediffmail.com, zonefourbhila4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 12/03/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/45

प्रति,

गुरदीप सिंह / सुरेन्द्र सिंह
महाप्रबंधक, नगर प्रशासन - इच्छा-21 (नवपत्रा)
वडा-42

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/47 भिलाई, दिनांक 31-12-2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/47 भिलाई, दिनांक 28-1-2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर नू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। नांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 12/03/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/45
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

हरविहर सिंह

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 48

भिलाई, दिनांक 31 / 12 / 2024

प्रति,

सुरजित् सिंह

राज नं. 21 से 22 तक

तारीख - 42

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/48

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/48 भिलाई, दिनांक 21/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोदस्तावेजकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/46

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

हरीशचंद्र सिंह/सुरेश चंद्र (नक्काशिया) B/15
मजदूर-21 (मोप31)
वा.प.2

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/48 भिलाई, दिनांक 28/2/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/48 भिलाई, दिनांक 2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/441/

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

हरिहर सिंह

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

318/68

लो.मल.पु.गार/कर्मचारी लाल

इसमिति के पास कोपडा जंगल-81

लाई-42 गै.मल.गार

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

Kausheel

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/58 भिलाई, दिनांक / /2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री. श. ल. कुमारे / कस्टोडियन
उपनिवेश क कार्यालय, 71.5.21

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/69 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में उपोद्घोषस्थानकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

Koushal

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/440/47

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

श्री. अ. ल. क. म. र. / श्री. अ. ल. क. म. र. /
रा. वि. / रा. वि. / रा. वि. / रा. वि. /

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/318/..... भिलाई, दिनांक 31/1/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/52..... भिलाई, दिनांक 28/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1114

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मेशादेवी

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/79

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

रामजी सिंह / राणी सिंह

कैलाश नगर / कल्याण

एलासंटे के पास कोणारी, अक्ष-21

तहसील 42 कैलाश नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन सधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

राम जी सिंह

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/315/700 69
//अंतिम नोटिस//

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

प्रति,

रामजी सिंह/राजा सिंह
उद्गामाई के पालन 7158 21

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024 310/700 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त रथल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण /कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

रामजी सिंह

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

कं./रा.वि./जोन 04/2025/1140/48

प्रति,

श्री आर्यभट्ट सिंह
शिवाजी नगर जोन 04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर

विषय:-

निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/69 भिलाई, दिनांक 31/12/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/69 भिलाई, दिनांक 28/1/2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटायी गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/1140/48
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निर्माण सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

रामजी

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम भिलाई
भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

भिलाई, दिनांक 30/12/2024

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310170

प्रति,

नि.मु.जी.नगरपालिका/नगर प्रमुख
नगर-३३.०६ नगर, भिलाई
नगर-४२, शिवाजीनगर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मनीष कुमार

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/76

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्रीमती सावित्री / 760 सुहेल
रा. वि. 22 के पास कोप-5

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाइन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/71 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

00

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाइन/मुख्य सीवर लाइन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाइन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाइन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मनीष कुमार

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/4444

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

प्रिय मित्र/साथी

र.स.सू.ग. 2025, 2130/22 के पालन को/45

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाइन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायो जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/70 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/70 भिलाई, दिनांक 22/11/2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाइन/मुख्य सीवर लाइन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाइन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाइन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस-तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाइन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाइन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/4444

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

21/3/25

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/23-427/ भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

से. शांता / से. वैकुण्ठ
अटक-22, ब्लॉक-21/0 व सामन
अफ-42, गैरम-मर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....
प्रतिलिपी:-

भिलाई, दिनांक / /2024

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

T. Shu.

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/325/271

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

श्री. शांता / श्री. देवेंद्र
महो. 22 क्वार्टर-2/कक लामने

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/72 भिलाई, दिनांक 30/1/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

T. Shw

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilaiz@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/11140/50

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

11/लीटिंग

कंपा 2/0 केसागने 450/22

मासिक 112

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/71 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

2. कं./रा.वि./जोन 04/2024/375/71 भिलाई, दिनांक 28/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025/11140

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/72①

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

शुभाजी नगरपालिका

खण्ड-2/अ.क.समाप्त म-58-22

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/73① भिलाई, दिनांक 31/12/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

शुभाजी

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 310/73

भिलाई, दिनांक 31 / 12 / 2024

प्रति,

सुमताज / लेख शिरानो

संक्र. 22, भा. 2/F के सामने ज़ोना

प्लॉट 42, गैंग्रह भूखंड

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक / / 2024

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सुमताज

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/.....

भिलाई, दिनांक 26/11/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024..... भिलाई, दिनांक..... 2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर मू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024 / 310/72(2)

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

प्रति,

~~श्री. सुनमन / श्री. सुनमन (महोदय)~~

② डेडी / अजय कुमार

मक-22, मक-31F के सामने

प्लॉट 42, गौतम नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क. / रा. वि. / जोन 04 / 2024.....

भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सुनमन

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaizt@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 41110/51

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

आयुक्त महो. नगर पालिक निगम भिलाई
जोना 04

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं वेन्चर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटायें जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/720 भिलाई, दिनांक 22/11/2024
2. कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/770 भिलाई, दिनांक 24/11/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिगत संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025 41110

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

P. Shri

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai4@gmail.com

रा.वि./जोन 04/2024/310/73

भिलाई, दिनांक 31/12/2024

मीरहिंग/रूप. राजनाथ सिंह

गर्जन के आभार

प्लॉट-42, गोंगाव-नगर

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से रात दिवरा के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वागित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

आशरीन

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/375/74

भिलाई, दिनांक 28 / / 2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

मीरा सिंह/सुवरणनाथ सिंह
गाईक सागर राहू 22

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

कं./रा.वि./जोन 04/2024/310/74 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025.....
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

आशरीफ

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04/2025/ 449/52

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

प्रति,

मी. ग. सि. ज.
एक जगनाधारिणी

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेंबर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

- कं./रा.वि./जोन 04/2024 375/73 भिलाई, दिनांक 22/3/2024
- कं./रा.वि./जोन 04/2024 275/74 भिलाई, दिनांक 28/1/2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को बेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु बेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025 449

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित। आ.स.सि.क

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

रा.वि./जोन 04/2024/

310178

भिलाई, दिनांक 31/01/2024

प्रति,

श्रीमति पुतुलशर्मा /-श. प्रमाण सात

सड़क-22, प्लॉट-21C के सामने कोपड़ा

प्लॉट-42, गौतम नगर

विषय:-

शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लें या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2024.....

भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

P. Sh. Li

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./रा.वि./जोन 04 / 2025 / 375/75

भिलाई, दिनांक 28/1/2025

// अंतिम नोटिस //

प्रति,

उत्तम लाली व प्रताप लाली
जवा-2/क.क. सामने सड़क-22

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कं./रा.वि./जोन 04 / 2024 310/75 भिलाई, दिनांक 31/12/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिली से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं Writ Petition (S) (Civil) No. (S) 295/2022 JAMIAT ULAMA I HIND VS. NARTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION And OTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर दिनांक 13.11.2024 को पारित निर्णय का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को तीन दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें अन्यथा अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक / / 2025

पृ.कं./रा.वि./जोन 04 / 2025.....

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

P. Shri

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

रा.वि./जोन 04/2025/ 1110/53

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

श्रीमति प्रमिला शाही

स्व. प्रताप शाही

विषय:- शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत जोन-1, जोन-2, जोन-3 में सीवर लाईन संधारण एवं खंजर निर्माण कार्य में बाधित अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कं./रा.वि./जोन 04/2024..... 375/74 भिलाई, दिनांक 28/12/2024

2. कं./रा.वि./जोन 04/2024..... 314/74 भिलाई, दिनांक 31/1/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा बीएसपी कर्मचारी आवास के पीछे स्थित वितरण सीवर लाईन/मुख्य सीवर लाईन भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा कर किए गए निर्माण के कारण सीवर लाईन संधारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त कृत अवैधानिक है जो छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा सीवर लाईन को बाधित कर किए गए निर्माण अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से सात दिवस के भीतर हटा लेने या उक्त स्थल का वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर भू-स्वामित्व व निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज नोटिस तामिलो से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने विधिवत् संदर्भित सूचना पत्र तामिल कराया गया है। आपके द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं हटाया गया व अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। दिनांक-05.03.2025 को वेदखली कार्यवाही के दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा सीवर लाईन निर्माण कार्य हेतु वेदखली कार्यवाही नहीं करने व अन्य विकल्प की खोज किये जाने की मांग की गई। मांग के अनुरूप प्रयास किया गया, किन्तु सीवर लाईन निर्माण का अन्य विकल्प नहीं मिल पाया है।

अतः नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों एवं भागनीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 13.11.2024 का पालन करते हुये एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अतिक्रमण/कब्जा को सात दिवस के भीतर स्वयं से हटा लें व अन्यथा अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सूचना जाने।

(आयुक्त महो. के द्वारा अनुमोदित)

पृ.कं./रा.वि./जोन 04/2025..... 1140

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

P. & L.

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/3/2025

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई